

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
याचिका संख्या:- 33/2017 नया नम्बर 2022/183

1. हनुमान सहाय पुत्र श्री रामदयाल, जाति कुमावत, निवासी प्लॉट नम्बर-4, सीता विहार, खिरनी फाटक रोड, झोटवाडा, जयपुर जरिये मुख्तयारआम गोविन्दराम पुत्र मांगीलाल कुमावत, निवासी ढाणी भारिजा, जोबनेर, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
2. अध्यक्ष जोबनेर ग्रामीण बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड जोबनेर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री मोहनलाल जाखड़,
2. श्रवणलाल जाखड़,
3. कैलाश चन्द जाखड़, पुत्रान श्री कज्जूराम जाखड़, निवासी बबेरवालों की ढाणी, जोबनेर, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
4. राजस्थान नगर पालिका मण्डल जोबनेर जरिये अधिशाधी अधिकारी नगरपालिका मण्डल जोबनेर, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
5. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
6. मानाराम पुत्र श्योजीराम, जाति जाट निवासी मठेसरों की ढाणी जोरपुरा जोबनेर तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
7. जिनेन्द्र कुमार जैन पुत्र सोहनपाल जैन निवासी जोबनेर तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
8. श्री शंकर चौधरी (फोगाट) पुत्र श्री देवाराम, जाति जाट, निवासी भोजपुर खुर्द तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स


निर्णय

दिनांक: 23.08.2022

याचिकाकर्ता द्वारा यह याचिका अन्तर्गत धारा 73(2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत भू-आवंटन पत्र नगरपालिका मण्डल जोबनेर दिनांक 07.06.2004 जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के तहत पुनः आवंटन पत्र पट्टा क्रमांक 192 पत्रावली संख्या 04/2005-05 दिनांक 07.06.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता याचिकाकर्ता ने याचिका के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 815 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा स्थित ग्राम बबेरवालों की ढाणी, पटवारी क्षेत्र जोबनेर, मुकाम सांभर, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर प्रार्थी हनुमान सहाय पुत्र रामदयाल की पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका विधिवत नामान्तरकरण संख्या 1456 प्रार्थी के नाम तस्दीक किया जाकर राजस्व भू अगिलेखो में प्रार्थी का नाम खातेदार कृषक के रूप में अंकित किया गया तथा हनुमान सहाय पुत्र रामदयाल ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाहियाँ करने हेतु गोविन्दराम पुत्र मांगीलाल कुमावत के पक्ष में मुख्तयारनामा आम तहरीर कर तस्दीक करवाया हुआ है।

P.T.O.


संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता याचि ने कथन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 815 के उत्तर की ओर अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 817 स्थित है तथा भूमि खसरा नम्बर 817 की कुल 1336.77 वर्गगज भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ एवं 3062.75 वर्गगज भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित किया जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका मण्डल जोबनेर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90बी के तहत आदेश पारित कर दिया जिसके तहत उक्त भूमि व्यवसायिक एवं आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित फरमा दी गई। उन्होने कथन किया है कि उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 817 की दक्षिणी सीमा पूरब से पश्चिम समान्तर नहीं है अपितु भूमि के दक्षिणी-पश्चिमी कोने की भूमि तो खसरा नम्बर 817 की भूमि है और उक्त भूमि के पूरब की ओर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 815 की सीमा आती है।

अधिवक्ता याचि ने कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की आराजी खसरा नम्बर 817 की धारा 90बी की कार्यवाही के तहत आराजी अप्रार्थी संख्या 4 के अधीन आ गई और नगर पालिका मण्डल को खसरा नम्बर 817 की भूमि का ही कब्जा प्राप्त हुआ जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी को कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त खसरा नम्बर 817 की भूमि का जो नक्शा भूमि रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत किया उसमें अवैध रूप से खसरा नम्बर 815 की उपरोक्त वर्णित भूमि जो कि खसरा नम्बर 815 की उत्तरी-पूर्वी हिस्से की भूमि है उसे खसरा नम्बर 817 की ही भूमि मानते हुये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा नक्शा बना दिया गया और बिना किसी प्रकार की कोई जांच किये अप्रार्थी संख्या 4 ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के आवेदन पर दिनांक 07.06.2004 को जो पट्टा संख्या 192 पत्रावली संख्या 04/2004-05 में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में जारी किया गया वह वास्तव में मुख्य रूप से खसरा नम्बर 815 की ही भूमि है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं है और नगरपालिका मण्डल जोबनेर को उक्त भूमि का कोई भू-आवंटन पत्र अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।

अधिवक्ता याचि ने कथन किया है कि प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में जारी किये गये उपरोक्त वर्णित भू-आवंटन पत्र की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी परन्तु जब अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व कुछ अन्य व्यक्तियों प्रार्थी की खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 815 की भूमि में अनुचित हस्तक्षेप करने की कार्यवाही करना प्रारम्भ किया तो प्रार्थी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होने जाहिर किया कि उन्हे खसरा नम्बर 817 की भूमि का आवंटन पत्र अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा जारी किया गया है परन्तु जब वे खसरा नम्बर 815 की भूमि में हस्ताक्षेप करने लगे तो प्रार्थी के लिये यह आवश्यक हुआ कि वह अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 815 की भूमि का सीमाज्ञान करवा ले, इस पर प्रार्थी ने दिनांक 30.01.2017 को तहसीलदार फुलेरा के समक्ष खसरा नम्बर 815 की भूमि का सीमाज्ञान

P.T.O.



संभारीय आयुक्त

जयपुर

करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और यह अनुरोध किया कि खसरा नम्बर 815 व खसरा नम्बर 817 घनी आबादी क्षेत्र में स्थित होने के कारण भू-प्रबन्ध विभाग के द्वारा ई.डी.एम. मशीन से सीमाज्ञान की कार्यवाही करवाया जाना आवश्यक है इस पर तहसीलदार फुलेरा ने दिनांक 31.01.2017 को पटवारी हल्का को निर्देश पत्र जारी किया जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 31.01.2017 को तहसीलदार फुलेरा से यह अनुरोध किया कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान ई.डी.एम. मीशन के द्वारा करवाया जाना आवश्यक है और उक्त कार्यवाही अभी लम्बित है। तत्पश्चात् प्रार्थी ने खसरा नम्बर 817 के तथाकथित विकास योजना का नक्शा निकलवाया तो पता चला कि खसरा नम्बर 815 की जो उत्तरी-पूर्वी कोने की भूमि खसरा नम्बर 817 की दक्षिणी-पश्चिमी कोने की भूमि से पूरब की ओर है, उक्त भूमि को खसरा नम्बर 817 की भूमि ही होना मानते हुये अप्रार्थी संख्या 4 ने उक्त भूमि का अपीलाधीन आवंटन पत्र अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में जारी कर दिया जो विधि विरुद्ध है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 4 ने चूंकि प्रश्नाधीन आवंटन पत्र प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 815 की भूमि में दर्शाते हुए तथा उक्त भूमि को खसरा नम्बर 817 की ही भूमि होना मानते हुये जारी किया है उससे भूमि विवादग्रस्त पर प्रार्थी के अधिकार गंभीर रूप से विपरित प्रभावित होते हैं इसलिये प्रार्थी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रश्नाधीन आवंटन आदेश के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर उसे निरस्त करावे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी सम्बन्धित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्राप्त कर जारी के दिन से अन्दर मियाद याचिका प्रस्तुत की गई है जिसके लिये याचि द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे तथा प्रार्थी की याचिका स्वीकार फरमाई जाकर प्रश्नाधीन आवंटन पत्र दिनांक 07.06.2004 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि हनुमान सहाय कुमावत ने हस्तगत प्रकरण राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के तहत पेश कर यह निवेदन किया है कि आवंटन पत्र दिनांक 07.06.2004 को निरस्त फरमाया जावे जो नगरपालिका मण्डल जोबनेर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में राजस्व ग्राम बबेरवालों की ढाणी जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 817 की व्यवसायिक भूमि 1331.22 वर्गगज एवं आवासीय भूमि 3040.94 वर्गगज कुल 4374.6 वर्गगज का जारी किया है तथा प्रार्थी संख्या 1 ने निरस्ती का आधार यह बताया है कि भूमि खसरा नम्बर 817 के उत्तर में भूमि खसरा नम्बर 815 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा स्थित है जो प्रार्थी संख्या 1 ने पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर इसका नामान्तरकरण संख्या 1456 अपने नाम खुलवा रखा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि खसरा नम्बर 815 का खातेदारी काश्तकार है तथा प्रश्नगत भू आवंटन पत्र की भूमि का एक भाग खसरा नम्बर 817 का ना होकर 815 का है।



राजस्थान
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि प्रश्नगत भू आवंटन पत्र दिनांक 07.06.2004 नगर पालिका जोबनेर के अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर निष्पादित किया गया था जो पंजीयन के लिए उप पंजीयक सांभरलेक के समक्ष दिनांक 07.06.2004 को प्रस्तुत किये जाने पर इसे उक्त तिथि को पंजीकृत कर दिया गया था उपरोक्त भू आवंटन पत्र के जरिये खसरा नम्बर 817 की व्यवसायिक व आवासीय भूमि क्रमाशः 1331.22 वर्गगज व 3040.94 वर्गगज 99 वर्ष के लिए लीज पर दी जा चुकी है इसलिये मामला अब प्रोपोजल लीज का नहीं रहा है इसलिये उक्त मामला अब पोषणीय न होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि हस्तगत मामले के संस्थित किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थी संख्या 1 हनुमान सहाय कुमावत के अपने लोकस पर विचार किया जाना भी आवश्यक है क्योंकि भूमि हाल खसरा नम्बर 815 वाके बबेरवालों की ढाणी तहसील फुलेरा के साबिक खसरा नम्बर 2669 थे जिनका तत्कालीन राजस्व ग्राम जोबनेर था जिसकी खातेदारी पण्डित विश्वेश्वर दयाल पुत्र पण्डित रामनाथजी जाति ब्राह्मण पारीक निवासी जोबनेर के नाम दर्ज थी जिन्होने दानपत्र दिनांक 12.11.1957 के माध्यम से उपरोक्त भूमि जोबनेर ग्रामीण बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड जोबनेर को दान की थी। उपरोक्त दानपत्र उप पंजीयक फुलेरा द्वारा दिनांक 10.12.1957 को पंजीकृत किया गया था तथा उपरोक्त पंजीकृत दानपत्र के माध्यम से उपरोक्त भूमि के समस्त खातेदारी अधिकार उक्त सहकारी समिति में निहित हो गये थे जो हस्तगत मामले में प्रार्थी संख्या 2 हैं तथा जिरामें भू आवंटन पत्र दिनांक 07.06.2004 के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आक्षेप आज दिवस तक प्रस्तुत नहीं किया है, उपरोक्त दानपत्र आज दिवस तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त घोषित नहीं किया गया है तथा राजस्व न्यायालय व राजस्व प्राधिकारियों को अपने समक्ष के वाद व कार्यवाहियों में पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराने की अधिकारिता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी संख्या 1 को हनुमान सहाय कुमावत की मामले में कोई लोकस नहीं है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि भूमि हाल खसरा नम्बर 815 साबिका खसरा नम्बर 2669 के सम्बन्ध में पंजीकृत दानपत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है वही दानकर्ता विश्वेश्वर दयाल द्वारा पंजीकृत दानपत्र के पश्चात् उनकी मृत्यु होने पर उनके वारिस जगदीश के हक में दानपत्र की भूमि के सम्बन्ध में फौती नामान्तरकरण भी स्वीकृत हुआ है जिनकी अपीलों की एक लम्बी श्रृंखला चलने के साथ-साथ राजस्व वाद की श्रृंखला उपखण्ड अधिकारी, राजस्व अपील प्राधिकारी, राजस्व मण्डल होते हुए वर्तमान में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष लम्बित है जिनका अंतिम निस्तारण नहीं हुआ है तथा यह एक स्वीकृत स्थिति है कि उपरोक्त मामलों के लम्बित रहते हुए प्रार्थी संख्या 1 हनुमान सहाय कुमावत ने भूमि खसरा नम्बर 815 क्रय की है तथा प्रार्थी संख्या 1 द्वारा वाद के लम्बित रहते हुए विवादित भूमि 815 क्रय की है। ऐसी सूरत में प्रार्थी संख्या 1 द्वारा किये गये संव्यवहार पर सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा

P.T.O.



संभागीय आयुक्त
जयपुर

52 में वर्णित लम्बित वाद का सिद्धान्त लागू होता वूँकि लम्बित वाद अन्तिमता को प्राप्त होने पर ही प्रार्थी संख्या 1 के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 815 के सम्बन्ध में किये गये संव्यवहार की वैधता तय होगी जिसकी उपरोक्तानुसार तय होने से पहले हस्तगत मामले को संस्थित करने की प्रार्थी संख्या 1 को किसी प्रकार की कोई लोकस नहीं है। ऐसी स्थिति में लिखित बहस के समग्र विवेचन के सभी तथ्यों के हस्तगत मामला प्रार्थी संख्या 1 के लोकस के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 के तहत प्रस्तुत होने वाले मामलों में मियाद अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 137 के प्रावधान लागू होते हैं जिसके तहत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वादकारण उत्पन्न होने के 3 वर्ष के भीतर उक्त मामला संस्थित हो जाना चाहिये था, उपरोक्त संदर्भ में अभिलेख का परिशीलन किया जावे तो यह सप्ट है कि प्रार्थी संख्या 1 के प्रीडिशेसर सत्यनारायण पारीक व हनुमान जाखड ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.11.2002 व सत्यनारायण पारीक व राकेश चौधरी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2001 भूमि खसरा नम्बर 815 का हिस्सा क्रमशः 1/2 व 1/2 क्रय किया था तथा हस्तगत मामले की दायरी का वादकारण उपरोक्त प्रचेजर्स के सम्बन्ध में प्रश्नगत आवंटन पत्र जारी होने की तिथि दिनांक 07.06.2004 को ही उत्पन्न हो गया था परन्तु हस्तगत मामला उक्त तिथि से 3 वर्ष के भीतर संस्थित नहीं हुआ है लिहाजा मामला मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रश्नगत पट्टा खसरा नम्बर 817 की भूमि का जारी किया गया है तथा उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 817 से प्रार्थी संख्या 1 व 2 का किसी प्रकार से कोई लोना-देना नहीं है, प्रश्नगत पट्टे को इस आधार पर आक्षेपित किया गया है कि इसके साईट प्लान में दर्शाई भूमि का दक्षिणी हिस्सा भूमि खसरा नम्बर 815 में दिखा दिया गया है तथा इसे तथाकथित रूप से साबित करने के लिए जो नक्शा पेश किया गया है वह पुराने अभिलेख के पुराने खसरा नम्बरान के आधार पर तैयार किया गया है जबकि प्रश्नगत पट्टा साईट प्लान भूमि हाल खसरा नम्बर 815 के नवीन नक्शा ट्रेस के अनुसार जारी है। उन्होंने आगे कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् को उपरोक्त दोनों नक्शा ट्रेसों की वैधता को निस्तारित करने की अधिकारिता नहीं है व ना ही इनके सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय का कोई आदेश अभिलेख पर है, प्रार्थी संख्या 1 ने जिस तथाकथित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.11.2012 के माध्यम से भूमि खसरा नम्बर 815 खरीद करना कथित किया है उसमें अपनी क्रयशुदा भूमि का कब्जा प्राप्त करना अंकित है प्रश्नगत पट्टे के साईट प्लान अनुसार मौके पर निर्माण किया हुआ है तथा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किये गये मामले में प्रार्थी संख्या 1 ने यह कथित नहीं किया है कि उसे उसकी तथाकथित भूमि खसरा नम्बर 815 के उत्तरी हिस्से से कब व किसके द्वारा बेकब्जा किया गया है उपरोक्त तमाम परिस्थितियों मद्देनजर व

P.T.O.


संभागीय आयुक्त
जयपुर

दृष्टिगण रखने से भी प्रार्थी संख्या 1 द्वारा पेश किये गये मामले में कोई सार नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा संस्थित किया गया मामला/प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी संख्या 1 ने भी अपनी लिखित बहस के तथ्यों दोहराते हुए कथन किया है कि प्रश्नगत आवंटन पत्र/पट्टों के लिए गठित पत्रावली में प्रस्तुत भूमि खसरा नम्बर 817 का नक्शा ट्रेस एक जैन्यून दस्तावेज है व इसकी जैन्यूननेस के चलते हस्तगत मामले में कोई सार नहीं है। अतः प्रार्थी संख्या 2 की लिखित बहस के तथ्यों के मद्देनजर प्रार्थी संख्या 1 द्वारा संस्थित उक्त मामला खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि खसरा नम्बर 815 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया गया है जिसका नामान्तरकण संख्या 1456 प्रार्थी संख्या 1 के नाम स्वीकार किया गया है उक्त तथ्यों को रेस्पोजेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की लिखित बहस में भी स्वीकार किया गया है जिससे स्पष्ट होता है प्रार्थी संख्या 1 खसरा नम्बर 815 के सम्बन्ध में होने वाली किसी भी कार्यवाही से सीधे तौर पर प्रभावित पक्षकार है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है एवं अपील/प्रार्थना पत्रादि प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें हैं जिनमें अपील/प्रार्थना पत्रादि प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रुख अपनाते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि जिला कलक्टर जयपुर द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक की अध्यक्षता में तहसीलदार फुलेरा एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जोबनेर की गठित संयुक्त जाँच टीम द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.11.2017 में अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 815 व 817 का मौके अनुसार पीटी सर्वे कराया गया जिसको राजस्व नक्शे पर सुपर इंपोज कराराया जाकर एक नक्शा तैयार कराया है जिसके अनुसार नगरपालिका जोबनेर द्वारा खसरा नम्बर 817 में जारी किये गये पट्टे की भूमि का 1080.23 वर्गगज रकबा खसरा नम्बर 815 में आता है जिसमें मौके पर दुकाने एवं बाउण्ड्रीवाल इत्यादि बनी हुई है जिससे उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 4 द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वास्तविकता की जाँच किये बिना ही भू आवंटन पत्र क्रमांक 192 दिनांक 07.06.2004 जारी किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।


अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत याचिका स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ नगरपालिका जोबनेर द्वारा जारी

P.T.O.



समाप्त
जयपुर

(7)

भू आवंटन पत्र क्रमांक 192 दिनांक 07.06.2004 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जोबनेर जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत कार्यवाही करें।


(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


संभागीय आयुक्त
जयपुर